

प्रेस नोट

थाना करण्डा जनपद गाजीपुर पुलिस बल द्वारा वध के लिए गोवंश की तस्करी करने जा रहे 03 नफर अभियुक्तगण को 01 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। -

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों तथा अवैध गोवंश तस्करी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दि० 01.03.2021 को करण्डा पुलिस द्वारा रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान सोनहरिया बरम बाबा तिराहे पर एक सुमो विस्टा में 03 अभि० गणो द्वारा वध के लिए गाड़ी में पीछे की सीट के स्थान पर निदर्शता पूर्वक 03 बछड़ों को बांध कर बेचने हेतु बिहार ले जाते समय एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. विनोद उर्फ शेरा पुत्र छेदी नि०ग्राम सिलौटा थाना धीना जनपद चदौली हाल मुकाम पता नियर रजागंज चौकी थाना कोतवाली गाजीपुर।
2. इदरीश पुत्र कीरित नि०ग्राम डहिया थाना कोतवाली गाजीपुर।
3. मेराज अहदम पुत्र इकबाल अहमद नि० मुस्तफाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

पंजीकृत अपराध का विवरण.

1. मु०अ०सं० 50/21 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।
2. मु०अ०सं० 51/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का नाम -

1. उ०नि० अशोक कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी खिजिरिपुर थाना करण्डा गाजीपुर।
2. उ०नि० सत्यप्रकाश सिंह थाना करण्डा गाजीपुर।
3. हे०का० कृष्णचन्द्र चौरसिया थाना करण्डा गाजीपुर।
4. हे०का० सुबरन यादव थाना करण्डा गाजीपुर।
5. का० विनय नायक थाना करण्डा गाजीपुर।